समक्ष श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

---

20 Rs COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

476
10.11.14

R-3897-III/14

बैजनाथ पटेल तनय राजाराम पटेल निवासी ग्राम कोरवारा, तहसील उचेहरा, जिला सतना म०प्र० ------- आवेदक निगराकार

बनाम

चन्द्रभान पिता घुसई लोहार निवासी कोरवारा तह० उचेहरा,

जिला सतना म०प्र० ------------ अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०
भूराजस्व संहिता सन 1959 विरुद्ध आदेश
राजस्व निरीक्षक महोदय 32ए/12/13-14
आदेश दिनांक 27-6-14 गैरनिगरानीकार
सीमांकन की पुष्टि की गई तथा आवेदक
निगराकार का आपत्ति निरस्त की गई।

श्री. महेन्द्र.......... एड
द्वारा आज दिनांक 10.11.14 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक........
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक........को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक चन्द्रभान पिता घुसई लोहार साकिन कोरवारा द्वारा अपनी भूमि नं० 256/1ग रकबा 0-139हे० जिसमें सूरजभान, राजभान, इन्द्रभान इन्द्रवती पिता घुसई लोहार एवम कुंवरिया पति घुसई लोहार सह भूमिस्वामी राजस्व प्रलेखों में अंकित है, तथा अनावेदक द्वारा अपने उपरोक्त भूमि का सीमांकन हेतु आवेदनपत्र श्री० न्याया० राजस्व निरीक्षक मण्डल उचेहरा केसमक्ष दिया जो आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर 7-6-14 को गलत तरीके से सीमांकन

क्रमांक 3634
रजिस्टर्ड पोस्ट ...
दिनांक 13-11-14
राजस्व मण्डल ...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3897/III/14 ...... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	बैजनाथ कार्यवाही तथा आदेश -वि- प्रमान	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.01-16	(1) प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एम.के. अग्निहोत्री उपस्थित। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर गुणदोष पर निर्णय लिया जावे। (2) आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं निगरानी मेमो के संलग्न सीमांकन संबंधी अभिलेखों की छाया प्रतियों एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 27-6-14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। (3) अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्याया० द्वारा अपने आपने आक्षेपित आदेश में यह बिन्दु लिया गया है कि समस्त सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी कर उन्हें सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है। संबंधी काश्तकार बैजनाथ जो सीमांकन के समय मौके पर थे जिनका सीमांकित सर्वे क्रमांक 256/1 ग के पूरे रकबे पर कब्जा पाया गया, जब यह साबित हुआ कि आवेदक का कब्जा है तो आवेदक बैजनाथ द्वारा मौका एवं स्थल पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हुए स्थल से चले गये तथा दिनांक 9-6-14 को अपनी आपत्ति पेश की गई। जो विचार में ली गई, जिसमें आपत्ति कर्ता आवेदक द्वारा अंकित किया गया कि जहां पर सीमांकन कर गैर निगरानी (आवेदक) को भूमि बताई गई है वहां पर निगरानीकर्ता का	

[कृ. प. उ.

सतना

R 3897/III/14

स्थान तथा दिनांक	बैजनाथ कार्यवाही तथा आदेश चन्द्रभान	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

50 वर्ष से कब्जा है तथा नक्शा तरमीम गलत हो गई है जिसमें सुधार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता बैजनाथ के आवेदन पर निष्कर्ष दिया गया कि "नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नहर निकाली गई, जिसमें आपत्तिकर्ता की भूमि अधिग्रहित कर आपत्तिकर्ता आवेदक बैजनाथ की भूमि अधिग्रहित कर आपत्तिकर्ता बैजनाथ के नाम मुआवजा दिया गया है, किन्तु मौके पर जहां आपत्तिकर्ता का कब्जा है वहां पर नहर नहीं निकली है। ऐसी स्थिति में जहां आवेदक निगरानीकार का कब्जा है वह भूमि अनावेदक की मानी जाकर आवेदक बैजनाथ का आवेदन आपत्ति निरस्त करते हुए दिनांक 7-6-14 को किये गये सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-6-14 से की जाकर प्रकरण समाप्त करने के आदेश दिए गये।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदक बैजनाथ का कौन सा सर्वे क्रमांक था जो नहर हेतु अधिग्रहित किया गया जिसका मुआवजा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया है अधिग्रहित सर्वे नम्बर का रकबा कितना था तथा कितना मुआवजा प्राप्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में नजरी नक्शा स्पष्ट का नहीं बनाया गया जिससे यह स्पष्ट होता कि किस सर्वे क्रमांक से नहर निकली है तथा आवेदक के कब्जे वाला क्षेत्र कौन सा है। इसके अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण नक्शा तरमीम का जो बिन्दु उठाया गया उसके संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अधी०न्याया०

9.1.16

XXXIX(a)-BR(H)-11

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3897/III/14 ..... जिला ..... सतना

स्थान तथा दिनांक	पृ.क्रमांक कार्यवाही तथा आदेश — 5/5/16	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 27-6-14 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप न होने से हस्तक्षेप किए जाने योग्य है जिससे निम्नानुसार हस्तक्षेप किया जाता है। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे इस आदेश के बिन्दु क्रमांक 4 में अंकित तथ्यों के संबंध में अभिलेखीय एवं तथ्यात्मक विवेचना कर मौके पर उभयपक्ष की तथा अन्य सरहदी कृषकों की उपस्थिति में स्पष्ट एवं पारदर्शी कार्यवाही करते हुए पुन: सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें। उपरोक्तानुसार पुन: सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करने तक (तीन माह तक) पूर्व में की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 7-6-14 एवं इसकी पुष्टि करने संबंधी आदेश दिनांक 27-6-14 प्रभावहीन रहेगा। नवीन सीमांकन आदेश जारी होने पर यह आदेश स्वत: समाप्त हो जावेगा। उपरोक्तानुसार आदेश के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०रि० हो। 5/5/16 (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य	

[कृ. प. उ.